भारत सरकार
गृह मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 404
दिनांक 03 दिसंबर, 2025 / 12 अग्रहायण, 1947 (शक) को उत्तर के लिए

अर्धसैनिक बलों में महिलाओं की भागीदारी

404. श्री कार्तिकेय शर्मा:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने अलग महिला विंग बनाने के उद्देश्य से सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी और एसएसबी में महिला पुलिसकर्मियों की संख्या बढ़ाने का प्रस्ताव किया है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और वित्त वर्ष 2024-25 में सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी और एसएसबी में भर्ती हुई महिलाओं की कुल संख्या कितनी है, वित्त वर्ष 2025-26 के लिए क्या लक्ष्य हैं और कॉम्बैट भूमिकाओं में 30 प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व प्राप्त करने की समय-सीमा क्या है; और

(ग) महिला सीएपीएफ कर्मियों के लिए सुरक्षित कार्य स्थितियां, पृथक आवास सुविधाएं और लैंगिक-संवेदनशीलता परिचालन नयाचार सुनिश्चित करने के लिए क्या विशिष्ट उपाय किए गए हैं?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री नित्यानंद राय)

(क) और (ख) जनवरी, 2016 में, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) में सिपाही स्तर पर 33% और सीमा सुरक्षा बलों में अर्थात बीएसएफ, एसएसबी और आईटीबीपी में सिपाही स्तर पर 14-15% पदों को महिलाओं द्वारा भरे जाने के लिए आरक्षित करने का निर्णय लिया गया था। सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी और एसएसबी में भर्ती की गई महिलाओं की संख्या का ब्यौरा अनुलग्नक-I में दिया गया है।

राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 404, दिनांक 03/12/2025

(ग) सरकार महिला केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ) कार्मिकों के लिए सुरक्षित कार्य परिस्थितियां, पृथक आवास सुविधाएं और लैंगिक-संवेदनशीलता परिचालन नयाचार (प्रोटोकॉल) सुनिश्चित करने के लिए समस्त उपाय/प्रयास कर रही है। उन्हें पृथक आवास/बैरक, आराम कक्ष-सह-चेन्जिंग कमरे और पृथक शौचालय उपलब्ध कराए जा रहे हैं। उनके बच्चों की देखभाल के लिए क्रेच सह डे केयर सेंटर भी उपलब्ध कराए गए हैं। महिला-विशिष्ट स्वास्थ्य मुद्दों के समाधान के लिए महिला-केंद्रित चिकित्सा सहायता तथा यौन उत्पीड़न से संबंधित शिकायतों के समाधान के लिए महिला हेल्प डेस्क और गोपनीय शिकायत तंत्र का भी प्रावधान है। एक अनुकूल वातावरण बनाने के लिए, नियमित लैंगिक संवेदीकरण कार्यशालाएं आयोजित की जाती हैं। परिचालन नयाचार (प्रोटोकॉल) के एक भाग के रूप में, महिला कार्मिकों को आम तौर पर कम से कम एक सेक्शन स्ट्रेंथ में या साथी(बड्डी) जोड़ी में तैनात किया जाता है। जहां भी संभव हो फ्लेक्सीबल समय तथा शिफ्ट प्रणाली को अपनाया जा रहा है।

****

राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 404, दिनांक 03/12/2025

अनुलग्नक-I

बल का नाम	**वित्तीय वर्ष 2024-25 में भर्ती की गई महिलाओं की कुल संख्या**	**वित्तीय वर्ष 2025-26 में महिला उम्मीदवारों की भर्ती का लक्ष्य**
सीआरपीएफ	294	1192
बीएसएफ	1680	2513
आईटीबीपी	1093	1375
एसएसबी	172	91
कुल	**3239**	**5171**

*****